फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री देवीलाल **विपक्षी : राजस्थान राज्य**

किस्म मुकदमा – 131 भू.राजस्व अधिनियम **पत्रावली संख्या : 27/22**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 14.05.2022

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प में पेश हुई। अधिवक्ता मय प्रार्थीगण व राजपेरोकार उपस्थित। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त शामिल पत्रावली की जावें। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माना जाकर पृथक से जवाब नहीं देना चाहकर प्रकरण को स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थीगण के अनुसार राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 2137/11 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2294/11 रकबा 0.6475 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2299/11 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि जो प्रार्थीगण के नाम दर्ज हैं परन्तु राजस्व नक्शें में गलत तरमीम होने से मौके पर कब्जे अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 2294/11 के मूल आंवटी भेरा पिता नन्दा भील व आराजी नम्बर 2299/11 लालु पुत्र भेरा भील एवं आराजी नम्बर 2137/11 रामा पिता अनोपा मेघवाल को उपखण्ड अधिकारी महोदय वल्लभनगर से आंवटन हुई है जिसका नामान्तरकरण संख्या 88, 284 एवं 181 से राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हुआ हैं। मूल आवंटी की तरमीम आवंटन के समय कब्जे अनुसार तरमीम नहीं होकर अन्य स्थान पर कर दी गई हैं एवं तरमीम में आस पास भी अंकित नहीं किये हैं। मौके पर कब्जे अनुसार मूल आंवटी द्वारा कब्जा प्रार्थी की निशानदेही अनुसार नक्शें में पुख्ता पैमुदगी बाबत लाल स्याही से दर्शा कर प्रस्तावित किया गया हैं।

प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व रिपोर्ट तहसीलदार मावली व पटवारी हल्का रख्यावल, भू. अ. निरीक्षक घासा के अवलोकन से प्रथमतया स्पष्ट है कि प्रकरण में वक्त आवंटन आवंटी को कब्जे अनुसार तरमीम नहीं की गई। आवंटी की विरासत के पश्चात् भूमि अन्य को विक्रय हो गई। प्रार्थीगण का कब्जा लगातार चला आ रहा हैं। चूंकि मौके पर गलत तरमीम होने से प्रार्थीगण को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा हैं। तहसीलदार मावली द्वारा भी कब्जे के आधार पर तरमीम हेतु नक्शा प्रस्तावित कर प्रकरण को स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में प्रस्तावित नक्शें अनुसार कब्जे के आधार पर नक्शें में तरमीम किया जाना न्यायाहित में उचित हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खाम की मादडी पटवार हल्का रख्यावल की आराजी नम्बर 2137/11 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, 2294/11 रकबा 0.6475 हैक्टेयर एवं 2299/11 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि को राजस्व नक्शें में प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किया जाने हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

(श्रवण सिंह राठौड)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Digitally signed by Shravan Singh Rathore
Date: 2022.05.17 09:44:43 IST
Reason: SelfAttested